छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना" होगा।

1.2 कक्षा 10 वीं एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत् पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इजीनियरिंग, चिकित्सा, सी0ए0 एवं एम0बी0ए0 अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क मंडल द्वारा देय होगा।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्री को लाभ की पात्रता होगी।

2.2 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक विभाग/संस्था के योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो विभागों/संस्थानों के योजनाओं का एक साथ लाभ नही उठा सकता है।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

योजना के अंतर्गत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4 **स्वीकृति का अधिकार :-**

पात्रता की जांच उपरांत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

5 **भुगतान की प्रक्रिया :-**

जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा छात्र-छात्रा के स्वयं के खाते में अथवा उनके माता-पिता के खाते में राशि जमा किया जावेगा।

6 **विसंगति का निराकरण-**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10-2/2015/16 **नया रायपुर, दिनांक** 11/3/15

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............... ....(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक भाासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग